CNRNO.UPMH010053692025

न्यायालय जिला न्यायाधीश, महराजगंज

सिविल प्रकीर्ण वाद सं0—61 / 2025

आरती देवी आदि बनाम राजेन्द्र सिंह व एक अन्य

27—05—2026

पत्रावली आज पेश हुयी। पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हुये।

न्यायालय अपर सिविल जज (अवर खण्ड) कोर्ट सं0—1, महराजगंज की अख्या दि0 15—11—2025 एवं अपर सिविल जज (अवर खण्ड) कोर्ट नं0—3, महराजगंज की अख्या दि0 28—11—2025 पत्रावली पर उपलब्ध है।

आवेदकगण आरती देवी आदि द्वारा अपने प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 4ग में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि वाद सं0—643 / 2012 अनारफी उर्फ बरफी बनाम राजेन्द्र सिंहव एक अन्य की पत्रावली न्यायालय अपर सिविल जज (अवर खण्ड) कोर्ट सं0—1, महराजगंज में लम्बित है जबकि उससे सम्बन्धित मूलवाद सं0—35 / 2021 राजेन्द्र सिंह बनाम श्रीमती आरती आदि की पत्रावली न्यायालय अपर सिविल जज (अवर खण्ड) कोर्ट नं0—3, महराजगंज में लम्बित है। उक्त दोनो वादों में जिस सम्पत्ति और दस्तावेज का विवाद है वह एक ही है, दोनो मामले अलग—अलग न्यायालय में लम्बित है जिसके कारण भविष्य में विरोधाभासी निर्णय आने की सम्भावना है ऐसी स्थिति में दोनो मामलों का एक ही न्यायालय द्वारा सुनवाई किया जाना आवश्यक है, अनुरोध किया कि उक्त दोनों वादों की सुनवाई किसी एक ही न्यायालय द्वारा किये जाने हेतु किसी एक सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाये।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र का मौखिक रूप से विरोध करते हुये मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि यद्यपि दोनो ही वादों में विवादग्रस्त सम्पत्ति एक ही है परन्तु दोनो वादों में याचित अनुतोष अलग—अलग है, ऐसे में स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली तथा उपरोक्त दोनो न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत आख्याओं का अवलोकन किया।

न्यायालय जिला न्यायाधीश, महराजगंज
सिविल प्रकीर्ण वाद सं0–61/2025
आरती देवी आदि बनाम राजेन्द्र सिंह व एक अन्य

प्रार्थनापत्र 4ग में वर्णित उपरोक्त दोनो वादों में जिस सम्पत्ति और दस्तावेज का विवाद है, वह एक ही होना बताया गया है, ऐसी स्थिति में एक ही सम्पत्ति के सम्बन्ध में दो विरोधाभासी निर्णय आने की सम्भावना को रोकने के लिये, उपरोक्त दोनो मूलवादों का निस्तारण किसी एक न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित होगा। न्यायहित में प्रार्थनापत्र 4ग स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण आरती देवी आदि की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 4ग स्वीकार किया जाता है और वाद सं0–643/2012 अनारफी उर्फ बरफी बनाम राजेन्द्र सिंह आदि की पत्रावली को न्यायालय अपर सिविल जज (अवर खण्ड) कोर्ट सं0–1, महराजगंज से वापस लेते हुये उसे विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज (अवर खण्ड) कोर्ट नं0–3, महराजगंज में स्थान्तरित किया जाता है।

तद्नुसार प्रकीर्ण वाद सं0–61/2025 निस्तारित किया जाता है।

आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(अरविन्द मलिक)
जिला न्यायाधीश,
आई0डी0नं0यूपी01904
महराजगंज।
27–05–2026

Digitally signed by ARVIND MALIK
Date: 2026.05.30 14:10:38 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court